इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें

Candidate should not write in this margin

बि. लो. से. आ. **1** **B.P.S.C**

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें

Candidate should not write in this margin

बि. लो. से. आ.	B.P.S.C

परीक्षार्थी के लिए आवश्यक अनुदेश

इन्हें सावधानी से पढ़े और इसका अनुपालन करें, अन्यथा दंड के भागी होंगे।

1. इस उत्तर पुस्तिका में (36) क्रमांकित पृष्ठ है। इसका सत्यापन कर लें। त्रुटि/कमी होने पर उत्तर पुस्ती बदलवा लें।
2. प्रवेश पत्र से मिलान कर केवल इस आवरण पृष्ठ पर विहित स्थान पर 'अपना नाम एवं अनुक्रमांक' [Enrollment Number] अंतर्राष्ट्रीय अंको तथा अक्षरों में लिखें। परीक्षा और विषय का नाम भी नियत स्थानों पर लिखें ।
3. अनुक्रमांक के सभी अंक अलग-अलग भाग बॉक्स में लिखे। 'शब्दों' में प्रत्येक अंक ठीक उसके नीचे, लम्ब बॉक्स में अक्षरक 2 ख लिखे।
4. उत्तर पुस्तिका के अन्दर किसी पृष्ठ पर प्रश्नोत्तर के अलावा अपना नाम, अनुक्रमांक, अन्य कोई [धार्मिक] शब्द या पहचान चिन्ह नहीं लिखे अन्यथा उत्तर पुस्तिका रद्द कर दी जायगी।
5. उत्तर पुस्तिका के दोनों तरफ लिखें। पुस्तिका के अंत बचे सभी सादे पृष्ठों (अंश सहित) को पूरी तरह क्रॉस [×] कर दें।
6. अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी।
7. दाहिनी ओर विहित घेरा में उत्तरित प्रश्न की क्रम संख्या के सामने उसकी पृष्ठ संख्या लिखे।
8. उपस्थिति पत्र पर प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए वही हस्ताक्षर करे जो उपस्थिति पत्र पर आपने पूर्व में किया है। अन्यथा उत्तर पुस्तिका रद्द कर दी जाएगी।
9. प्रश्नों के उत्तर एक ही स्याही में लिखे। यदि स्याही बदलनी पड़े तो इस आशय का निरीक्षक (Invigilator) से आवारण पृष्ठ पर नियत स्थान पर अभिप्रमाणन अवश्य करायें।
10. यदि आप किसी प्रश्नोत्तर को रद्द करना चाहें तो आर-पार क्रॉस कर [×] काट दे तथा उसपर रद्द लिखें।

V V I Questions for 65th BPSC MAINS

परीक्षा EXAM.: 65th B.P.S.C (Mains) Exam. 2020

विषय SUB.: Paper-I & II

तिथि DATE.: 31/05/2020

प्रश्न संख्या Q.No.	उत्तर की पृष्ठ संख्या Pg. No. of Answer	प्राप्तांक Marks Obtained
1.	2-4	
2.	4-6	
3.	6-9	
4.	9-11	
5.	11-14	
6.	14-16	
7.	16-18	
8.	18-24	
9.	24-26	
10.	26-28	
11.	28-30	
12.	30-36	
13.	36-38	
14.	39-45	
15.	----	

CERTIFIED
Chief Editor
Bihar Naman Publishing House
New Delhi

परीक्षक EXAMINER

प्रधान परीक्षक HEAD EXAMINER

B 65662021

65th B.P.S.C Mains Test Series-2020

By- Santosh Kashyap

Bihar Naman Publishing House, New Delhi-84

Mob:-9355617891,8368040065

Email-biharnaman@gmail.com

MODEL ANSWER BOOKLET-1

TEST No.- 01	TEST DATE- 31/05/2020
TIME:- 3 Hrs	MEDIUM- HINDI
TOTAL MARKS:- 300	SUBJECT- PAPER-I & II (Combined)

आगामी अंक-भारतीय राज्य व्यवस्था तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था (सम्पूर्ण खण्ड)

Copyrigh@Bihar Naman Publishing House

(खण्ड-I)

प्रश्न सं०-1. ''शिल्प की दृष्टि से पाल कला अपने समय की सबसे उन्नत कला थी।'' विश्लेषण करें। **(अंक-38)**

उत्तर- 8वीं से 12वीं सदी के मध्य बिहार एवं बंगाल में पाल एवं सेन के संरक्षण में बौद्ध तथा हिन्दू दोनों धर्मों से प्रभावित कला की एक विशेष 'पाल शैली' का विकास हुआ। यद्यपि इस प्रकार की कला पूर्व के शासकों के समय भी विद्यमान रही किंतु पाल वंश के शासकों ने इसे अधिक मजबूती प्रदान किया। पाल शैली की शिल्पगत विशिष्टताओं को निम्नलिखित भागों में विभक्त कर समझा जा सकता है-

- मूर्तिकला
- स्थापत्य कला
- चित्रकला
- भित्तीचित्र
- मृण-मूर्तियाँ

मूर्तिकला

पाल युग में मूर्तिकला की एक विशिष्ट शैली का विकास हुआ। बुद्ध की अनेक मूर्तियाँ इस नई शैली का ज्वलंत उदाहरण है। पाल शासन के समय *नालंदा, बोधगया, कुर्कीहार, फतेहपुर, अतिचक, इमादपुर, बोधगया, राजगृह, भागलपुर, दिनाजपुर* आदि स्थान मूर्तिकला के पूरक केन्द्र बने तथा पत्थर एवं धातुओं की नई-नई मूर्तियाँ यहाँ बनाई गई जो अपनी सुंदरता के लिए आज भी प्रसिद्ध है। इन मूर्तियों का निर्माण पाल कालीन महान कलाकार *धीमन* तथा उनके पुत्र *विठपाल* की देखरेख में हुआ। पाल काल में बुद्ध के साथ-साथ अन्य हिन्दु देवी देवताओं यथा- विष्णु, बलराम, सूर्य, उमा-महेश्वर, गणेश आदि की मूर्तियाँ भी बनाई गई।

मूर्तिकला की विशेषता

- मूर्तियाँ काले बैसाल्ट पत्थर से बनायी जाती थी जो नजदीकी संथाल परगना और मुंगेर जिला की पहाड़ियों से प्राप्त किये जाते थे।
- मूर्तियों के अग्रभाग को ज्यादा दिखाया गया है।
- मूर्तियां शिल्पगत है और कलाकार की शिल्पगत परिपक्वता को दर्शाता है।
- मूर्तियों में अलंकरण की प्रधानता है जो इसे और भी आकर्षक बनाता है।
- बुद्ध की मूर्तियों में उनकी जीवन की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे उनका जन्म, प्रथम धर्मोपदेश, निर्वाण आदि को दिखाया गया है।
- अधिकांश मूर्तियाँ हाथ से बनाई गयी है। इन पर तन्त्रपान का भी स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। कुछ मूर्तियां कांसे से भी बनाई जाती थी।

CERTIFIED
Chief Editor
Bihar Naman Publishing House
New Delhi

स्थापत्य कला

पालवंशी शासक महान निर्माता थे। नालन्दा, विक्रमशिला, ओदन्तपुरी, सोमपुरी में उनके द्वारा बनवाए गए बौद्ध विहार एवं मठों के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। मठों का निर्माण भिक्षुओं के रहने के लिए किया जाता था। ये आवास योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे, जिनमें खुले आँगन के चारों ओर बरामदे बने थे। कमरो में प्रकाश एवं हवा की कमी ना हो इसका विशेष रूप से ध्यान

Copyrigh@Bihar Naman Publishing House

रखा गया था। कमरे दो मंजिला बनाई गई थी और इनमें सीढ़ियों की भी व्यवस्था थी। पाल राजा गोपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार, सोमपुरी एवं ओदंतपुरी में मठ, महीपाल ने काशी में सैकड़ों भवन एवं मन्दिर, धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार बनवाया। इसके अतिरिक्त कहलगांव का गुफा मंदिर, गया स्थित विष्णुपुर मंदिर का अर्द्धमण्डप, सूरजगढ़ जयमंगलगढ़ आदि पाल स्थापत्य कला के प्रत्यक्ष प्रमाण है।

चित्रकला

पालकाल में चित्रकला के दो रूप मिलते हैं- पांडुलिपि के चित्र और दीवारों पर अंकित चित्र।

इस काल में पांडुलिपियों में विषय-वस्तु के अनुकूल एवं सजावटी चित्रण के अतिरिक्त दीवारों पर चित्र बनाने के उदाहरण भी देखे जा सकते हैं। चित्रित पांडुलिपियाँ ताम्रपत्र पर लिखी गई है। इनके श्रेष्ठ उदाहरण हैं- अष्टसहसरिका, प्रज्ञापरमिता और पंचरक्ष। ये दोनों चित्रकला वर्तमान में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में सुरक्षित है। इनमें लगभग सौ से अधिक चित्र बने हुए हैं। पालों द्वारा सचित्र पाण्डुलिपियों के जीवित उदाहरणों में से अधिकांश का संबंध बौद्ध मत की वज्रयान शाखा से था। मठों की दीवारों पर भिन्न-भिन्न चित्रों को बनाया गया है। इन चित्रों में लाल, नीले, तथा उजले रंगों का प्राथमिक रंग और हरे, काले, धूसर, बैंगनी, हल्के गुलाबी तथा भूरे रंगों का द्वितीयक रंग के रूप में प्रयोग हुआ है।

भित्तीचित्र

चित्रकला का एक अन्य रूप भित्तीचित्र है। इसे नालंदा जिला के सराय स्थल से प्राप्त किया गया है। यहाँ ग्रेनाइट पत्थर से बने हुए एक बड़े चबूतरे के नीचे के भाग पर कुछ ज्यामितीय आकार के फूलों की आकृतियों एवं मनुष्यों तथा पशुओं का चित्रण किया गया है। इनमें हाथी, घोड़ा, नर्तकी, बोधिसत्व और जम्मला प्रमुख है। इन भित्तीचित्र पर अजंता एवं बाघ की गुफा चित्रों की शैली का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है।

मृणमूर्तियाँ

पाल कला में मृणमूर्तियों का निर्माण सुंदर एवं कलात्मक रूप में किया गया है। मृणमूर्तियाँ दीवारों पर सजावट के लिए बनाई जाती थी। इनमें धार्मिक तथा सामान्य जीवन के अर्थात लोगों के रहन-सहन, खान-पान, वेश-भूषा, क्रिया-कलाप, रीति-रिवाज आदि की झलक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। कलात्मक सुंदरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण एक तख्ती है, जिस पर एक स्त्री को बैठी हुई मुद्रा में दिखलाया गया है। एक हाथ में आईना लिए वह अपने रूप को निहार रही है और दूसरे हाथ की उँगलियों से अपनी माँग में सिन्दूर भर रही है। चेहरे की सुंदरता और भोलापन, उभरे हुए उरोज एवं उसकी पतली कमर के माध्यम से उसके शारीरिक सौन्दर्य पर ध्यान केन्द्रित करने का सफल प्रयास किया गया है।

तेरहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा बौद्ध मठों का विनाश करने के पश्चात पाल कला का अचानक ही अंत हो गया। कुछ मठवासी और कलाकार बच कर नेपाल चले गए जिसके कारण वहाँ कला की विद्यमान परंपराओं को सुदृढ़ करने में सहायता मिली। पाल युग के कलात्मक

Copyrigh@Bihar Naman Publishing House

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

अवशेष नेपाल, रॉयल एशियाटिक सोसायटी (कोलकाता), कला भवन (काशी), बोस्टन संग्रहालय (अमेरिका) में सुरक्षित है।

प्रश्न-2. भारत की स्वाधीनता के लिए लड़े गए युद्ध/युद्धों आंदोलन/आंदोलनों में बिहार की महिलाओं की भूमिका का परीक्षण करें। क्यों इतिहास ने इन्हें वह स्थान नहीं दिया जो मिलना चाहिए था? (अंक-38)

उत्तर-देश की आजादी की लड़ाई का कोई भी संदर्भ असंख्य महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्त्वपूर्ण भूमिका की पहचान किए बिना पूर्ण नहीं होगा, जिसमें अधिकतर महिलाएँ अशिक्षित एवं गरीब परिवारों की थी और जिन्होंने पुरुष स्वतंत्रता सेनानियों को अपना भरपूर समर्थन दिया था। हालांकि भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन सामान्यत: एक पुरुष प्रधान एवं पुरुष निर्देशित आंदोलन के रुप में इतिहास के पन्नों में दर्ज है किन्तु समकालीन इतिहास का सूक्ष्म अवलोकन करने पर इसमें महिलाओं की स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष भागीदारी देखने को मिल जाती है। भारत की स्वाधीनता के लिए लड़े गए युद्ध/युद्धों आंदोलन/आंदोलनों में बिहार की महिलाओं की भूमिका का परीक्षण निम्नलिखित आंदोलनों में उनकी सक्रिय सहभागिता के अध्ययन से किया जा सकता है

CERTIFIED
Chief Editor
Bihar Naman Publishing House
New Delhi

<u>चम्पारण सत्याग्रह में बिहार की महिलाओं की भूमिका-</u>

बिहार में गांधीजी के नेतृत्व में चल रहे चंपारण सत्याग्रह (1917) के दौरान महिलाओं की भागीदारी बढ़ी तथा असहयोग आंदोलन के शुरु होने तक सुनीति देवी, कस्तूरबा गांधी, श्रीमती सरला देवी, राधिका देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, मूलमती देवी आदि महिलाओं की प्रेरणा से सम्पूर्ण बिहारी महिला समाज में जागृति आई और वे आंदोलन में कूद पड़ी। मूक आंदोलन की प्रणेता बनी इन महिलाओं ने चंपारण में नील की खेती का बहिष्कार किया, पुरूषों के साथ कदम से कदम मिलाकर उनके साथ खड़ी रही तथा अवांछित करो का तीव्र विरोध किया। कृषक समुदाय की महिलाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर यह दिखा दिया की अपने अधिकार के हनन की स्थिति में वो भरपूर ऊर्जा के साथ बिना हथियार के भी शक्ति सम्पन्न ब्रिटिश हुकूमत से लड़ सकती है।

<u>असहयोग आंदोलन में बिहार की महिलाओं भूमिका-</u>

वर्ष 1920-21 में शुरु हुए असहयोग आंदोलन में बिहार की महिलाओं की स्पष्ट भागीदारी देखने को मिलती है। इस आंदोलन के दौरान सरला देवी ने बिहार के छात्र-छात्राओं से सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ने की अपील की तथा आंदोलन से जुड़ने के लिए उन्हें निमंत्रित किया। प्रिंस ऑफ वेल्स के सम्मान में होने वाले सम्मान समारोहों का बहिष्कार सावित्री देवी ने की जिनमें श्रीमती सी.सी. दास और उर्मिला देवी ने उनका सहयोग दिया। सी.सी. दास एवं उर्मिला देवी ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार-प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा गांधी जी के देशबंधु स्मारक कोष में धन संग्रह की अपील पर बिहार की महिलाओं ने अपने आभूषण तक दान में दे दिये। धन संग्रह हेतु गांधीजी की इस बिहार यात्रा में जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही।

Copyrigh@Bihar Naman Publishing House

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार की महिलाओं भूमिका-

सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार की महिलाओं की भागीदारी में तीव्र वृद्धि देखी गई। इस आंदोलन के दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती और अन्य स्थानीय नेताओं के आह्वाहन पर बिहार की संभ्रान्त घरों की महिलाओं ने बढ़-चढ़ भाग लिया। शाहबाद जिले में रामबहादुर की पत्नी ने सासाराम थाने के सामने, संथाल परगना में श्रीमती शैलबाला राय ने, नमक कानून का उल्लंघन किया। शैलबाला राय की अपील पर घरों की चारदीवारी से निकलकर नमक कानून मंत्र करने के लिए आगे आई। इस आंदोलन के क्रम में सबसे पहले हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सरस्वती देवी तथा श्रीमती साधना देवी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। पटना में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व श्रीमती हसन इमाम तथा विंध्यवासिनी देवी ने किया। पटना में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार हेतु आयोजित एक सभा में लगभग 3 हजार से भी अधिक महिलाओं ने भाग लिया।

23 मार्च 1931 ई. की घटना के विरोध में बिहार की महिलाओं की भूमिका-

23 मार्च 1931 ई. को भगतसिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फाँसी देने के विरोध में आरा में श्रीमती कुसुमदेवी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया जिसमें उन्होंने इन वीरों की शहादत पर बिहार के नौजवानों को ललकारा। 4 जनवरी 1932 में गाँधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में राज्यभर में हड़ताल एवं प्रदर्शन का आयोजन किया गया। 26 जनवरी 1932-33 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के आरोप में राजेन्द्र प्रसाद की पत्नी राजवंशी देवी सहित आठ महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया।

भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की महिलाओं की भूमिका-

अगस्त 1942 में स्वतंत्रता संघर्ष के लिए देश भर में अंतिम लड़ाई लड़ी गई। इस अगस्त क्रांति अथवा भारत छोड़ो आन्दोलन में बिहार की महिलाओं विशेषकर महिलाओं की चरखा समिति से जुड़ी महिलाओं ने अपने रौद्र रुप का परिचय दिया। इन महिलाओं ने इस आंदोलन को राज्यभर में लोकप्रिय बनाने हेतु महत्त्वपूर्ण कार्य किये। 9 अगस्त 1942 को अन्य महिलाओं के साथ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की बहन श्रीमती भगवती देवी ने पटना में महिलाओं का एक विशाल जुलूस निकाला जिसके पश्चात् उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 11 अगस्त को हजारीबाग में श्रीमती सरस्वती देवी के नेतृत्व में एक अन्य जुलूस निकाला गया किन्तु उन्हें गिरफ्तार करके भागलपुर जेल भेजा जा रहा था तभी छात्रों के एक दल ने धावा बोलकर उन्हें मुक्त करा लिया लेकिन 14 अगस्त को एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए उन्हें पुन: गिरफ्तार कर लिया गया। भागलपुर जिले के विहपुर में श्रीमती माया देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गोविन्दपुर के श्री नरसिंह गोप की पत्नी जिरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी। 19 अगस्त 1942 को शांति देवी की अध्यक्षता में छपरा में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया तथा छपरा के दिघवाड़ा

Copyrigh@Bihar Naman Publishing House

प्रखंड में तिरंगा फहराने के आरोप में शारदा देवी एवं सरस्वती देवी दोनों सगी बहनों को क्रमशः 14 एवं 11 वर्ष की सजा हुई।

उपरोक्त वर्णनों से स्पष्ट हो जाता है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने संघर्ष के सभी चरणों में अंग्रेजों के विरुद्ध पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना कर्त्तव्य सत्यनिष्ठा के साथ निभाया। उन्होंने वीरता, साहस और नेतृत्व की क्षमता का अभूतपूर्व परिचय दिया। बिहार की वीरांगनाओं का जिक्र किए बिना 1857 से 1947 तक की स्वाधीनता की दास्तान अधूरी है। उन श्रद्धा की देवीयों को इनके त्याग और बलिदान के लिए आज समूचा बिहार नतमस्तक होकर अभिनंदन करता है और खुद को गौरवान्वित भी महसूस करता है कि जब कभी भी इतिहास में महिलाओं की शौर्य-गाथा सुनाई जाएगी बिहार की महिलाओं का नाम अग्रेतर पंक्ति में होगा।

प्रश्न-3. राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया, संवैधानिक अधिकार, शक्ति व इनके कार्य की चर्चा करें। केन्द्र-राज्य संबंध में राज्यपाल की नियुक्ति क्यों विवाद का मुद्दा बना हुआ है?

(अंक-38)

उत्तर- राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार राष्ट्रपति केन्द्रीय कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। राज्य कार्यपालिका के सभी निर्णय राज्यपाल के नाम से लिए जाते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति संघ की कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति द्वारा (अनुच्छेद 155 के अनुसार) केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् की सलाह पर किया जाता है। सामान्यतः उसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती है परंतु समय से पूर्व भी राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता हैं। कार्यकाल पूरा होने के उपरांत भी उसे अपने पद पर बने रहने को कहा जा सकता है जब तक की दूसरा व्यक्ति उस पद पर आसीन न हो जाए। उसे एक राज्य से दूसरे राज्य में भी स्थानांतरित किया जा सकता है।

<u>राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य</u>

संविधान के द्वारा राज्यपाल को पर्याप्त व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गयी है। राज्यों में राज्यपाल की वही स्थिति है जो केन्द्र में राष्ट्रपति की। अतः दोनों की शक्तियों में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बहुत समानता है। श्री दुर्गादास बसु के शब्दों में "राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान है, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक तथा संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर।" राज्यपाल की शक्तियों का अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता हैं-

- कार्यपालिका शक्तियाँ
- विधायी शक्तियाँ
- न्यायिक शक्तियाँ
- आपातकालीन शक्तियाँ
- स्वविवेक संबंधी शक्तियाँ

CERTIFIED
Chief Editor
Bihar Naman Publishing House
New Delhi

Copyrigh@Bihar Naman Publishing House

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

- अन्य शक्तियाँ

<u>कार्यपालिका शक्तियाँ:</u> राज्य कार्यपालिका का प्रधान होने के नाते राज्यपाल निम्न पदों पर नियुक्ति करता है–

CERTIFIED
Chief Editor
Bihar Naman Publishing House
New Delhi

- मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को
- राज्य महाधिवक्ता
- राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को (हालाँकि इन्हें अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है)
- राज्य विधान सभा में अधिकतम 1 आंग्ल-भारतीय सदस्य का मनोनयन
- राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का मनोनयन
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है।

<u>विधायी शक्तियाँ:</u> राज्यपाल, राज्य विधान सभा का अभिन्न अंग होता है। उसके निम्नलिखित विधायी शक्तियाँ एवं कार्य है–

- वह राज्य विधायिका के सदनों को बुलाता है तथा उसकी समाप्ति की घोषणा करता है, वह विधान सभा को भंग कर सकता है।
- वह राज्य विधायिका को संबोधित करता है, भाषण देता है तथा सदनों में संदेश भेज सकता है।
- वह राज्य के बजट को विधायिका के पटल पर रखवाता है।
- धन विधेयक को सदन में प्रस्तावित करने के लिए राज्यपाल की पूर्वानुमति आवश्यक है।
- राज्य विधायिका की बैठक न होने की स्थिति में उसे अध्यादेश जारी करने का अधिकार है।
- वह राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है।

<u>न्यायिक शक्तियाँ:</u> राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ एवं कार्य इस प्रकार हैं–

- जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दण्ड को क्षमा, उसका प्रवलंबन, विराम या परिहार या लघुकरण की शक्ति राज्यपाल को है। किंतु राज्यपाल सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए सजा को न तो कम कर सकता है न ही क्षमादान दे सकता है।
- वह जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है। (संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर)

<u>आपातकालीन शक्तियाँ:</u> राज्यपाल को कोई आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं है केवल यही प्रावधान है कि राज्य में विधि व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुरोध कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति शासन की घोषणा

Copyrigh@Bihar Naman Publishing House

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

की जाती है तो उस राज्य के शासन की बागडोर राज्यपाल के हाथों में आ जाता है और वह प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से राज्य की शासन व्यवस्था चलाता है।

<u>स्वविवेक संबंधी शक्तियाँ:</u> राज्यपाल को राष्ट्रपति की तुलना में विस्तृत स्वविवेक संबंधी शक्ति प्राप्त है। वस्तुत: राष्ट्रपति की स्वविवेक संबंधी शक्तियाँ संविधान में वर्णित नहीं है। यह परिस्थिति मूलक है जबकि राज्यपाल की स्वविवेक शक्तियाँ संवैधानिक है।

संविधान के अनुच्छेद 163 में इसका वर्णन किया गया है। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्यपाल का कोई विषय स्वविवेक के अंतर्गत आता है कि नहीं तो राज्यपाल का निर्णय ही अंतिम होगा। इस संबंध में इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि उसे विवेकानुसार निर्णय लेने का अधिकार था या नहीं। इसके अतिरिक्त राज्यपाल को निम्नलिखित स्वविवेक संबंधी शक्तियाँ प्राप्त है-

- संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत वह राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का आमंत्रण दे सकता है।
- अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधायिका से पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है।
- अनुच्छेद 371 के अंतर्गत कुछ राज्यों के राज्यपालों को दी गई विशेष शक्तियाँ
- केन्द्र राज्य संबंध में राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा से ही विवाद का मुद्दा रहा है। इसे निम्न बिन्दुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-
- राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। इसलिए वह केन्द्र के निर्देशानुसार ही कार्य करता है। कई बार उनके कार्यो और राज्य सरकार के कार्यो का एक दूसरे द्वारा अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो गंभीर विवाद को जन्म देता है।

  उदाहरण- गोविन्द नारायण सिंह बनाम भगवत झा आजाद विवाद (1988)- बिहार
- राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग केन्द्र सरकार की राजनीतिक इच्छा पूरा करने के लिए किया जाना भी विवाद का एक प्रमुख मुद्दा है।

  उदाहरण- महाराष्ट्र में नए सरकार गठन हेतु तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही
- कार्यकाल समाप्ती के पूर्व ही राज्यपाल को उसके संवैधानिक पद से हटाया जाना
- राज्यपाल पर आदर्श आचार संहिता के उल्लघंन का मामला भी केन्द्र-राज्य विवाद का कारण हो सकता है।

  उदाहरण- राजस्थान का मामला

CERTIFIED
Chief Editor
Bihar Naman Publishing House
New Delhi

- केन्द्र द्वारा राज्य में किसी ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाना जो किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित हो। ऐसी स्थिति में यह संभव है कि राज्यपाल राज्य सरकार की अवश्यक ही

Copyrigh@Bihar Naman Publishing House

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

उपेक्षा करेगा।

निष्कर्षत: राज्यपाल के कार्य एक साथ विविध और महत्वपूर्ण हैं। सामान्य समय में राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में और केन्द्र एवं राज्य के मध्य महत्वपूर्ण कडी के रूप में कार्य करते हुए तथा कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में जबकि अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उद्घोषणा की जाय, राज्यपाल संघ का एजेन्ट बन जाता है, वह रिक्त स्थान को भरता है और उस थोड़ी सी अवधि में भी जबकि उसे सहायता देने और परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद उपलब्ध नहीं रहती कार्यपालक सरकार की निरन्तरता को सुनिश्चित करता है। राज्यपाल संविधान द्वारा परिकल्पित व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी है। कोई भी दूसरा संवैधानिक अधिकारी अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त इन उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं कर सकता। संक्षेप में, यह एक ऐसा महत्वपूर्ण पद है जिसके अभाव में राज्य शासन में काम नहीं चल सकता।

CERTIFIED
Chief Editor
Bihar Naman Publishing House
New Delhi

प्रश्न-4.'' चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र का स्थापना बिन्दु है।'' 17वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में-

- **उक्त कथन का परीक्षण करें तथा**
- **यह भी जांच करे कि बिहार में सर्वाधिक नोटा प्रयोग के क्या कारण हो सकते है?**

(अंक-38)

उत्तर- लोकतंत्र से अभिप्राय ऐसी शासन व्यवस्था/पद्धति से है जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सरकार का गठन करती है। भारत में लोकतंत्र का इतिहास काफी पुराना है किन्तु इस विचारधारा का विकास मुख्य रुप से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ। पिछले 70 वर्षों में भारत में लोकतंत्र इतनी फली-फूली कि आज यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। भारतीय लोकतंत्र का एक संघीय रुप है जिसके अंतर्गत केन्द्र में एक सरकार है जो संसद के प्रति उत्तरदायी है तथा राज्य के लिए अलग सरकारें है जो उनके विधानसभाओं के लिए समान रुप से जवाबदेह है।

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए 'चुनाव व्यवस्था' को प्राण की संज्ञा दी गई हैं क्योंकि चुनावों के माध्यम से जनता अपने शासकों (जन प्रतिनिधियों) का चयन करती है, उस पर नियन्त्रण रखती है और सरकार को वैधता प्रदान करती है। नागरिक चुनाव के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करके ऐसी सरकार को बदल सकते हैं जो उनकी इच्छाओं का सम्मान नहीं करती। लोकतन्त्र में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि चुनाव होते हैं अपितु इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि चुनाव किस भांति होते हैं, चुनाव कितने निष्पक्ष होते हैं और आम मतदाता का निर्वाचन व्यवस्था का संचालन करने वाले अभिकरण की निष्पक्षता और ईमानदारी पर कितना विश्वास है।

17वीं लोकसभा चुनाव (2019) में पूर्ण जनादेश की आज्ञा का पालन हुआ है। कुल 542 लोकसभा सीटों के लिए कराए गए चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत से अधिक सीटें प्राप्त हुई है। भारत जैसे विविधता संपन्न राष्ट्र में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिलना

Copyrigh@Bihar Naman Publishing House

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

इसका द्योतक है कि– ''भारत में लोकतंत्र की पैठ काफी गहरी हो चुकी है। यहाँ के लोग अपने चुनावी अधिकार से परिचित है। वे इस बात को समझने में सक्षम है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। उनका प्रतिनिधि कौन होगा? यह निर्धारण करने में भी वे सक्षम है।'' इसका संपूर्ण श्रेय निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को जाता है।

लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चयन करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। यह चयन चुनावों के माध्यम से किया जाता है। ये प्रतिनिधि स्वतंत्र या किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हो सकते है। यद्यपि हमारे संविधान में राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं है, फिर भी लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए वे महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। वे अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं जिससे जनता को विभिन्न दलों के प्रत्याशियों में से एक उचित प्रत्याशी को चुनने में सरलता होती है। राजनीतिक दलों के घोषणाओं के माध्यम से जनसाधारण को यह जानकारी मिलती है कि यदि कोई दल निर्वाचन में जीत जाता है तो उसकी सरकार कौन-कौन से कार्य करेगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्तारूढ़ दल के साथ-साथ विपक्षी दल का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। वह सत्तारुढ़ दल द्वारा बनाए गए नीतियों पर विचार-विमर्श करती हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर उसकी आलोचना भी करती हैं।

CERTIFIED
Chief Editor
Bihar Naman Publishing House
New Delhi

17वीं लोकसभा चुनाव और भारतीय लोकतंत्र : महत्वपूर्ण बिन्दु

- राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी से कुल 397 सांसद का चयन
- दक्षिण भारतीय राज्यों के राज्यपार्टी के सदस्यों का लोकसभा में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिनिधित्व
- 542 सांसदों में से 267 सांसद पहली बार, 230 लोकसभा सांसद पुनर्निर्वाचित हुए है।
- अधिकांश लोकसभा सांसद 40 वर्ष से कम के है जो ऊर्जावान है तथा वे लोकतंत्र को एक नई दिशा दे सकते है।
- 394 लोकसभा सांसद ग्रेजुएट है तथा वे लोकतंत्र के मूल्यों को समझने में सक्षम है।
- 78 महिला लोकसभा सांसद, संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही है।

उपरोक्त बिन्दु से यह समझा जा सकता है कि देश को एक नई दशा और दिशा मिली है। यहाँ के लोग भी लोकतंत्र की भावना को स्पष्ट समझने में सक्षम है।

पंचायती राज चुनाव, राज्य विधान सभा व विधान परिषद का चुनाव तथा लोक सभा व राज्य सभा के चुनाव के प्रक्रिया से भारतीय जनता पूर्णत: अवगत है। इन चुनावों के माध्यम से वे अपने प्रतिनिधित्व चुनते है। लोकतंत्र के स्थापना बिन्दु से शीर्ष बिन्दु तक उनके प्रतिनिधि कैसे हो, का चयन वे चुनाव के माध्यम से करते है।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर (वर्ष 2013) चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में नोटा विकल्प का वर्ष 2014 के आम चुनाव में पहली बार प्रयोग किया था। नोटा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के समक्ष मतदाताओं को अपना असंतोष प्रकट करने का अवसर उपलब्ध

Copyrigh@Bihar Naman Publishing House

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

कराता है। वर्ष 2019 में सम्पन्न हुए लोक सभा चुनाव में 1.04 प्रतिशत (राष्ट्रीय स्तर पर) तथा बिहार में 2.08 प्रतिशत लोगों ने नोटा का प्रयोग किया। बिहार में सर्वाधिक नोटा प्रयोग के निम्नलिखित कारण हो सकते है-

CERTIFIED
Chief Editor
Bihar Naman Publishing House
New Delhi

- मतदान जागरूकता का अभाव।
- ईवीएम मशीन के माध्यम से वोट कैसे डाला जाए, अपने वोट की कैसे पुखता किया जाए, इस विषय पर चुनाव आयोग द्वारा व्यापक जन प्रचार व प्रशिक्षत उपलब्ध न कराया जाना।
- मतदान से पूर्व गठबंधन युक्त राजनीति का असंतुष्टीकरण
- चुनाव लड़ रहे राजनीतिक दलों द्वारा स्पष्ट व राज्य के विकास के अनुकूल मेनिफेस्टों तैयार नहीं किया जाना
- चुनाव पूर्व जाति-आधारित रजनीति करना तथा जाति विशेष बहुल चुनाव क्षेत्रों में उस जाति विशेष का प्रतिनिधि खड़ा करना भले ही वह अयोग्य हो।
- केन्द्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की लाभार्थी तक न पहुँच पाना।
- शिक्षित, योग्य व कर्मठ उम्मीदवार की जगह किसी ऐसे व्यक्ति को चुनाव में खड़ा होना जो संबंधित क्षेत्र से न हो।
- बिहार में व्यापक गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, अफशरशाही पुलिसिया प्रशासन का जनता के प्रति उदासीन रवैया, जनता और सरकार के बीच बिचौलिये की भूमिका आदि कारण ने भी राज्य के निवासियों को नोटा का बटन दबाने पर विवश किया है।

बिहार में सर्वाधिक नोटा प्रयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र बनाम मताधिकार के विषय पर एक तीखी बहस को जन्म दिया है। बिहार के लोगों की राजनीतिक जागरूकता तथा सक्रिय राजनीतिक संव्यवहार ने केन्द्र व राज्य सरकार दोनो को जनादेश के अनुकूल कार्य करने को प्रेरित किया है। भविष्य में होने वाले चुनाव/चुनावों के लिए नोटा का सर्वाधिक प्रयोग एक संदेश है कि यदि जनप्रतिनिधि अथवा राजनीतिक दल विकास मूलक काम नहीं करेंगे तो भविष्य में लोग चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते है। बिहार सरकार ने इसी आशंका को पाटने के लिए पंचायत स्तर पर लोक संवाद कार्यक्रम की शुरूआत की है।

प्रश्न-5. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:

(अंक 19×2=38)

(क) क्या गांधीजी आधुनिक थे?

उत्तर-गांधी जी के आलोचक उनको प्रतिक्रियावादी, पूंजीपतियों एवं साम्राज्यवादियों का मित्र कहते हैं। किन्तु कुछ उदार आलोचक ने उन्हें धार्मिक पुनर्जागरणवादी भी कहा हैं। जब तक उनका जीवन और शिक्षाएं मानवता के लिए अर्थपूर्ण एवं महत्वपूर्ण है तभी तक गांधीजी आधुनिक है। जवाहरलाल नेहरू के विपरित गांधीजी के विचार पश्चिम के अनेक प्रभावों के बावजूद मूलतः भारतीय थे जिन्हें

Copyrigh@Bihar Naman Publishing House

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

वे भारत की जनता की भाषा में अभिव्यक्त करते थे। लेकिन यदि हमें गांधी के विचारों को सही परिप्रेक्ष्य में समझना है तो हमें आधुनिक राष्ट्र की आत्मा को समझना होगा। इस शब्द का प्रायः दोहरे अर्थो में प्रयोग होता है-

पहलाः ऐसा व्यक्तित्व/व्यक्ति जिसका बाहरी जीवन पश्चिमी जीवन शैली पर आधारित है। जैसे- रईस व्यक्ति

दूसराः ऐसा व्यक्तित्व/व्यक्ति जिनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण तार्किक, वैज्ञानिक, लोकतांत्रिक तथा समतावादी है। जैसे आधुनिक व्यक्ति (इस संवर्ग में गरीब, मध्यमवर्गीय तथा रईस सभी तरह के व्यक्ति शामिल किय जाते है।)

CERTIFIED
Chief Editor
Bihar Naman Publishing House
New Delhi

गांधीजी तार्किक व्यक्ति के रूप में-

परामात्मा में विश्वास करने वाले गांधी जी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते थे। उनके अनुसार सत्य ही ईश्वर है और इसे तर्को से सिद्ध नहीं किया जा सकता है। उनके लिए नैतिक मूल्य ही भगवान थे। उनका मानना था कि नैतिक मूल्यों में आस्था रखने वाले लोग आध्यात्मिक एवं ईश्वर निष्ठ होते है। अनेक वैज्ञानिकों यथा न्यूटन, आइंस्टाइन, जे.सी.बोस, रमन आदि ने ईश्वर में आस्था जताई है। वे प्रयोगशालाओं में उस ईश्वर को ढूढ़ते रहे जो वास्तव में सत्य है। गांधी जी के अनुसार यह ईश्वर है।

गांधीजी वैज्ञानिक के रूप में

गांधीजी के अनुसार गांव के लोग ईश्वर में अपनी आस्था की अनेक अंधविश्वासों से जोड़ बैठे है। किन्तु गांव के किसान और कुम्हार भी विज्ञान को मानते और समझते है। ईश्वर में आस्था के बावजूद किसान अपनी धरती जोतता है, उसमें वैज्ञानिक तरीके से अन्न बोता है तथा कुम्हार मिट्टी को रौंद कर (सानकर) मिट्टी के बर्तन बनाने में वैज्ञानिक चाक प्रयोग करता है। गांधी जी ने ज्ञान को हासिल करने तथा बढ़ाने के लिए की जाने वाली जांच-पड़ताल, अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग तथा अनुभव का समर्थन किया है।

गांधीजी सामाजिक क्रांतकारी के रूप में-

गांधीजी ने समाज में फैले अस्पृश्यता, जातिप्रथा, महिलाओं से भेद-भाव, हिंन्दु समाज में फैले अनेक अंधविश्वासों को दूर करने का भरसक प्रयास किया। सामाजिक गतिविधियों के हर क्षेत्र में उनका नजरिया आधुनिक व वैज्ञानिक था। उन्होंने वैद्य व हकीमों की जगह आधुनिक आयुर्विज्ञानियों को आमंत्रित किया। वे परंपरागत विधि के विपरित आधुनिक ईलाज के पक्षधर थे।

सार संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि-

यदि सत्य एवं नैतिक मूल्यों को सर्वोपरि मानना आधुनिकता है तो गांधीजी आधुनिक थे। यदि अपनी बात पर अटल रहना एवं अपने कार्य को पूरा करना आधुनिकता का परिचायक है तो गांधीजी आधुनिक थे। यदि अपने को और अपने आस-पास की जगह को साफ-सुथरा रखना आधुनिकता का

Copyrigh@Bihar Naman Publishing House

प्रतीक है तो गांधीजी पक्के तौर पर आधुनिक थे। यदि स्वाद के बजाय दूसरों की भलाई के लिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना आधुनिकता है तो गांधीजी आधुनिक थे। यदि शारीरिक श्रम की महत्ता को स्वीकारना आधुनिकता है तो गांधीजी आधुनिक थे। यदि सहिष्णुता और बेहतर समझदारी आधुनिकता है तो गांधीजी को अवश्य ही आधुनिक समझा जाना चाहिए। यदि अपने से मतभेद रखने वाले अथवा अपने विरोधियों के साथ भी बिना मन-मुटाव के बात करना आधुनिकता है तो गांधीजी आधुनिक थे। यदि बिना पद सत्ता अथवा दौलत से बेपरवाह रहकर सार्वभौमिक शिष्टाचार निभाना आधुनिकता है तो गांधीजी अवश्य ही आधुनिक थे। यदि लोकतांत्रिक जीवनशैली आधुनिकता है तो गांधीजी इस कसौटी पर खरे उतरते थे। यदि निचले तथा एकदम गरीब तबकों से एकाकार होना आधुनिकता है तो गांधीजी आधुनिक थे यदि गरीब जरूरतमंद दलितों भाग्यहीनों दरिद्रनारायण के हक में लगातार कार्य करना आधुनिकता है तो गांधीजी सचमुच आधुनिक थे। यदि मानवीय उत्तेजना के ज्वार के बीच भी निस्पृह रहना आधुनिकता है तो गांधीजी आधुनिक थे। इन सबके ऊपर यदि किसी पवित्र कार्य के लिए प्राणोत्सर्ग करना आधुनिकता है तो गांधीजी आधुनिक थे।

CERTIFIED
Chief Editor
Bihar Naman Publishing House
New Delhi

(ख) ई.डब्लू.एस. को आरक्षण

उत्तर- परीक्षार्थी इस प्रश्न का उत्तर स्वयं लिखने का प्रयास करें।

(ग) पंचायतीराज-संस्थाएं ग्रामीण विकास व नेहरू

उत्तर- आज वर्तमान भारत का जो स्वरूप हमारे सामने है, उसमें पं० जवाहरलाल नेहरू की अविराम साधना, दूरदृष्टि और अपरिसीम श्रम परिलक्षित होता है। भारत को विश्व की औद्योगिक दौड़ में आगे लाने का सम्पूर्ण श्रेय पं० नेहरू को ही है। निस्संदेह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत औद्योगिक दृष्टि से जिस दयनीय स्थिति में फँस सकता था, नेहरू ने 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' की नीति अपनाकर इस देश को आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर कर दिया। पं० नेहरू ने राष्ट्रीय समस्याओं का हल निकालने के लिए मध्यमार्ग अपनाया। उन्होंने देश की परिस्थितियों के अनुरूप ही मध्यमार्ग अपनाने पर जोर दिया।

<u>पंचायतीराज-संस्थाएँ एवं ग्रामीण विकास:</u> पं० नेहरू पर यह दोषारोपण किया जाता है कि वे शहरीकरण तथा औद्योगीकरण के पक्के हिमायती थे। उन्होंने गाँवों, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की आत्मा है, को अनदेखा कर दिया। बेशक, पं. नेहरू आधुनिकीकरण में विश्वास करते थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व में अद्भुत विरोधाभास समन्वित था। अरसे से चली आ रही भारत की सांस्कृतिक परम्पराओं, मान्यताओं तथा प्रथाओं के प्रति उनकी आस्था दृढ़ थी। उन्होंने तीन ग्रामीण संस्थाओं के विकास पर जोर दिया- (a) सामुदायिक विकास कार्यक्रम, (b) सहकारी समितियाँ एवं (c) शक्तिशाली ग्राम पंचायत। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के साथ साथ उन्होंने सहकारी समितियां

Copyrigh@Bihar Naman Publishing House

की भी वकालत की ताकि लोग मिल-जुलकर काम कर सकें तथा ग्रामवासी आत्मनिर्भर बन सकें। इसके लिए उसने प्रत्येक गाँव में एक शक्तिशाली ग्राम पंचायत की बात की, जिसे पर्याप्त अधिकार दिया जाना चाहिए, जो आर्थिक कार्यकलापों को देखें।

गाँवों को कठोर संघर्षपूर्ण जीवन से उबारने के लिए गाँधी जी के अनुरूप वे चाहते थे कि पंचायतें देश के शासन-तंत्र का आधार बनें। ग्रामवासियों से भूलें हो सकती हैं, परन्तु भूलों से व्यक्ति सन्मार्ग की ओर अग्रसर होता है। उनका अकाट्य विचार था कि पंचायतों के माध्यम से जन-समुदाय को शिक्षित एवं प्रशिक्षित किया जा सकता है।

पं० नेहरू का मानना था कि पंचायतें हमारे शासन-तंत्र की बुनियाद हैं। यदि वह बुनियाद ठोस और पुख्ता नहीं होगी। तो ऊपरी ढाँचा कमजोर होगा। वे प्रशासन का विकेन्द्रीकरण करना चाहते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि पंचायतें इतनी छोटी होनी चाहिए ताकि पंच एक दूसरे को जाने-समझे और पंचायत एक परिवार का रूप ले ले।

BIHAR NAMAN PUBLISHING HOUSE
CERTIFIED
Chief Editor
Bihar Naman Publishing House
New Delhi
Copyrigh@Bihar Naman Publishing House

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

CERTIFIED
Chief Editor
Bihar Naman Publishing House
New Delhi

Copyrigh@Bihar Naman Publishing House